कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्यप्रदेश
ऑडिट भवन,झाँसी रोड ग्वालियर

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर से सम्बंधित भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पेंशन/परिवार पेंशन की Extant rules/Provisions के अंतर्गत आने वाली शिकायतों का निराकरण किये जाने हेतु दिनांक 20.09.2023 एवं 21.09.2023 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पेंशन अदालत का आयोजन पी.डी.वी.पी. कक्ष में किया जा रहा है| पेंशन अदालत में निम्न प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी-

1. 30.06.2023 तक सेवानिवृत्ति के ऐसे प्रकरण जिनमें आज तक पीपीओ जारी नहीं किये गये हैं।
2. 31.03.2023 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरण जिनमें आज तक पीपीओ जारी नहीं किये गये हैं|
3. 31.03.2023 तक सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के मामले जिनमें आज तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है|
4. 31.03.2023 तक ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के मामले, जिनमें केवल अनंतिम/साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है और सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का दावा किया गया है।
5: ऐसे मामले जिनमें पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेंशन संवितरण बैंक को जमा कर दिया गया है और बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं हुई है, जब तक कि पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम पीपीओ में नहीं दिया गया हो।

शिकायतकर्ता दिनांक 20.09.2023 एवं 21.09.2023 को पेंशन अदालत में प्रकरण निराकरण हेतु संपर्क कर सकते है|

अतः इस कार्यालय से सम्बंधित पेंशन/परिवार पेंशन शिकायतों के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2023 एवं 21.09.2023 को कार्यालय के पी.डी.वी.पी. कक्ष में संपर्क कर सकते है| पेंशनर, आवेदन कार्यालय की Email ID agaumadhyapradesh1@cag.gov.in पर भी प्रेषित कर सकते है | पेंशन अदालत में वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन नोडल अधिकारी होंगे|

20/09/2023

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
पेंशन एवं डी. वी. पी. कक्ष